दिनांक 05.01.2018 को विभागीय सभाकक्ष में माननीय मंत्री, कृषि, बिहार सरकार की अध्यक्षता में मुख्यालय के पदाधिकारियों एवं जिला कृषि पदाधिकारी के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः— पंजी में संधारित।

कृषि निदेशक, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया है।

1. कृषि समन्वयकों की नियुक्ति के सम्बंध में बताया गया कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कुल 3600 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है, जिसमें से 3507 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दिया गया है। सूचित किया गया कि पूर्व से संविदा पर कार्यरत कृषि समन्वयकों की सेवा विलोपित कर दी जायेगी।
2. चयनित कृषि समन्वयकों की नियुक्ति की प्रक्रिया दिनांक 08.01.2018 से प्रारम्भ हो जायेगी। सभी चयनित कृषि समन्वयकों का फोल्डर कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त कर बामेती कार्यालय में संधारित किया जायेगा, जहाँ से सम्बंधित जिलों को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेश दिया गया कि चयनित कृषि समन्वयकों के मूल आवेदन पत्र की जाँच कर लेंगे तथा उसमें किये गये हस्ताक्षर का मिलान कर लेंगे।
3. नियुक्ति पत्र का प्रारूप मुख्यालय से तैयार कर सभी जिलों को भेजा जायेगा। प्रारम्भ में कृषि समन्वयक जिला मुख्यालय में योगदान करेंगे। उसके बाद उनकी नियुक्ति पहले दो पंचायतों के लिए की जायेगी। जिलों में यदि पंचायत रिक्त रह जायेंगे तो अलग से उन पंचायतों का प्रभार दिया जायेगा। कृषि समन्वयकों की नियुक्ति गृह प्रखण्ड को छोड़कर शेष किसी भी प्रखण्ड में की जायेगी। इनकी प्रतिनियुक्ति बगैर कृषि निदेशक के आदेश के नहीं की जाएगी।
4. चयनित कृषि समन्वयकों का मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसे जिला कृषि कार्यालय के एक सुरक्षित कमरे में संधारित करने का निदेश दिया गया। कृषि समन्वयकों की नियुक्ति औपबंधिक होगी। इनका नियुक्ति पत्र हाथों–हाथ दिया जायेगा एवं निबंधित डाक से भी भेजा जायेगा।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई भेद–भाव नहीं किया जायेगा एवं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति के बाद पटना में एक सभागार में सभी कृषि समन्वयकों से शपथ लिया जायेगा तथा उन्हें पटना में एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(अनुपालन– कंडिका 1 से 5 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

6. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को कृषि समन्वयकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन हेतु नजर रखने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शष्य)

7. कृषि समन्वयकों की नियुक्ति से सम्बंधित सॉफ्टवेयर के संचालन के सम्बंध में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को अवगत कराया गया।
8. सभी कृषि समन्वयकों के लिए पांच पंचायतों का विकल्प जो अलग–अलग प्रखण्ड के हों तथा गृह प्रखण्ड के न हो का प्रावधान सॉफ्टवेयर में करने का निदेश आई0टी0 मैनेजर को दिया गया। जिलावार प्रखण्डों में पंचायतों की संख्या के आधार पर समानुपातिक रूप से कृषि समन्वयकों के पदस्थापन का सॉफ्टवेयर में प्रावधान करने का निदेश आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को दिया गया।

(अनु0–आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग)

9. सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत टैगिंग की सूची Excel कॉपी में itkrishibihar@gmail.com पर आज ही भेज दिया जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

10. माननीय मंत्री, कृषि, बिहार द्वारा बताया गया कि 3507 कृषि समन्वयकों की नियुक्ति के बाद जो रिक्तियाँ रह जायेगी या जो योगदान नहीं करेंगे उन पदों पर शेष रह गये 93 कृषि समन्वयकों की नियुक्ति कर ली जायेगी। पूर्व से संविदा पर कार्यरत कृषि समन्वयकों जिनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है, उन्हें अगले नियोजन में प्राथमिकता दी जायेगी। शेष पंचायतों के लिए कृषि समन्वयकों तथा ए0टी0एम0/बी0टी0एम0 की नियुक्ति हेतु फरवरी, 2018 में विज्ञापन प्रकाशित कराकर शीघ्र नियुक्ति कर ली जायेगी।

(अनु0–निदेशक प्रशासन, कृषि विभाग)

11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :–

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2015–16 का लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र मुंगेर, समस्तीपुर, नालन्दा, सिवान, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, कटिहार एवं दरभंगा का महालेखाकार से समायोजित हो गया है। 14 जिलों यथा खगड़िया, जहानाबाद, पूर्णिया, अररिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, किशनगंज, पटना, वैशाली, सारण, सुपौल, औरंगाबाद एवं लखीसराय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को समर्पित कर दिया गया है। जमुई, भोजपुर एवं भागलपुर से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित कर दिया गया है। मधेपुरा से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण लौटा दिया गया है।

निदेश दिया गया कि जिन जिलों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक नहीं उपलब्ध कराया गया है वे दिनांक 09.01.2018 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अभाव में राशि की निकासी में विलम्ब नहीं होनी चाहिए।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

12. जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम :–

12.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस योजना अन्तर्गत अभी तक बक्सर जिला में निकासी शून्य है तथा अररिया में 1 प्रतिशत एवं लखीसराय में 3 प्रतिशत राशि की निकासी की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी अररिया एवं लखीसराय द्वारा बताया गया कि वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण हो गया है। शीघ्र ही राशि की निकासी कर ली जायेगी। निदेश दिया गया कि सभी घटको के लक्ष्य को प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को आवंटित कर तथा उन्हे लगाकर पंचायतवार नजर रखा जाय एवं लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि प्राप्त की जाय।

12.2 जैविक खेती के प्रोत्साहित करने तथा किसानों के उचित मूल्य दिलाने हेतु विचार करने का निदेश दिया गया। अन्य राज्यों से फीडबैक लेने, वैज्ञानिकों के साथ बैठक करने एवं सेमिनार आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका 12.1 एवं 12.2–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

13. कौशल विकास योजना अन्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण देने एवं इसमें तेजी लाने का निदेश दिया गया।

14. सभी जिलों में किसान चौपाल को व्यवस्थित तरीके से लगाने का निदेश दिया गया। किसान चौपाल के जरिए कृषि योजनाओं की जानकारी नीचे स्तर तक पहुँचाने का निदेश दिया गया।

15. कृषि योजनाओं में गति लाने के लिए मार्च, 2018 से जिला स्तर पर भी कृषि रोड मैप बनाकर काम कराने का निदेश दिया गया।

16. सभी जिला कृषि पदाधिकारी को अपने क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार की मदद से अगले वित्तीय वर्ष की कार्य योजना तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया। अप्रैल, 2018 से इस पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(अनु0–कंडिका 13 से 16–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

17. कृषि मंत्री द्वारा जिला स्तरीय बैठक में प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), मुख्यालय से जिला नोडल पदाधिकारी, माप–तौल अधिकारी एवं एक कृषि वैज्ञानिक को अवश्य भाग लेने का निदेशक दिया गया।

18. कृषकों को आर्थिक लाभ दिलाने के लिए उनके समूहों को वैधानिक दर्जा दिलाने का निदेश दिया गया। **(अनु0–सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शष्य)**

19. कृषि मंत्री द्वारा पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय संचालित कराने का निदेश दिया गया। बताया गया कि राज्य में 885 पंचायत भवन तैयार हो गया है। इसमें एक कमरा स्थायी रूप से किसान सलाहकार के कार्यालय के लिए आवंटित करा लिया जाय। यहाँ कृषि विभाग की सारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध रहेगी। जहाँ पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ है वहाँ किराया में एक कमरा लेकर किसान सलाहकार का कार्यालय प्रारम्भ कराया जाय। वे 3 से 4 घंटा कार्यालय में रहेंगें तथा शेष समय क्षेत्र में रहेंगे। **(अनु0–निदेशक, बामेती)**

20. **कृषि यांत्रिकीकरण :–** **(अनु0–निदेशक प्रशासन)**

20.1 कृषि यांत्रिकीकरण योजना अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण, शेखपुरा, रोहतास,मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद एवं मुंगेर की उपलब्धि अभी भी बहुत दयनीय है। इन जिलों की निकासी 5 प्रतिशत से भी कम है। सभी जिलों को लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

20.2 निदेश दिया गया कि अगले वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह से ही कृषि यांत्रिकीकरण मेला का आयोजन किया जाय।

20.3 सोलर पम्पसेट को योजना में शामिल करने हेतु इसके निर्माता से प्रस्ताव एवं कीमत की मांग करने का निदेश दिया गया।

20.4 कस्टम हायरिंग योजना के प्रचार–प्रसार हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने का निदेश दिया गया।

20.5 प्राइवेट बैंक/अन्य वित्तीय संस्थान जो भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन को मानते है तथा भारत सरकार से निबंधित है, उन्हें भी कृषि यंत्रों के लिए वित्तीय सहायता करने के लिए प्राधिकृत करने का प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।

20.6 सभी कृषि यंत्रों के लिए एल0पी0सी0 की अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।

20.7 मिनी कम्बाईन हार्वेस्टर को बैंक ऋण की अनिवार्यता से समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका 20.2 से 20.7– राज्य नोडल पदाधिकारी, यांत्रिकीकरण)

21. राज्य के सभी 243 राजकीय गुणन प्रक्षेत्रों, उद्यान नर्सरी एवं बाजार समिति प्रांगण का बाउन्ड्री कराने तथा इनका जीर्णोद्धार कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सम्बंधित पदाधिकारी)

22. जिला की परिस्थिति मिट्टी एवं मौसम को ध्यान में रखकर जिलावार विशेष फसल की पहचान कर उन जिलों में इसकी खेती पर बल देने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–निदेशक, उद्यान)

23. जिला कृषि पदाधिकारी एवं मुख्यालय के पदाधिकारी को समूह बनाकर अन्य राज्यों के Expose visit पर भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु0–निदेशक, बामेती)

24. उर्वरक में डी0बी0टी0 एवं पी0ओ0एस0 मशीन लागू हो गया है। राज्य में 94 प्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन का वितरण हो गया है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को इसपर नजर रखने तथा उर्वरक का स्टॉक दबाकर रखने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।
माननीय मंत्री, कृषि, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

27.1.18

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–56/16– 428 पटना, दिनांक :– 24/1/18

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/उप निदेशक, प्रशासन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.18

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–56/16– 428 पटना, दिनांक :– 24/1/18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27.1.18

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।